आदेश संख्या/जीएसटी -2017-18/ 08 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०
(जीएसटी अनुभाग)
लखनऊ: दिनांक: 21, नवम्बर, 2017

:आदेश:

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उ0प्र0अधि0 1 सन् 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, मैं कमिश्नर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के कुल आवर्त रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा नीचे सारणी के स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट मासों के लिए अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-01 में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा को उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक बढ़ाता हूँ, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	**वे मास, जिनके लिए प्ररूप जीएसटीआर-01 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं**	**प्ररूप जीएसटीआर-01 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	जुलाई-अक्तूबर, 2017	31 दिसम्बर, 2017
2	नवम्बर, 2017	10 जनवरी, 2018
3	दिसम्बर, 2017	10 फरवरी, 2018
4	जनवरी, 2018	10 मार्च, 2018
5	फरवरी, 2018	10 अप्रैल, 2018
6	मार्च, 2018	10 मई, 2018

2. जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 तक के मासों के लिए, अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (2) और धारा 39 की उप-धारा (1) के अधीन, यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा का विस्तार तत्पश्चात् अधिसूचित किया जाएगा।

21/11/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।